

क्षेत्राधिकार सं० १, बरेली आवासीय प्लॉट, अर्द्धनगरीय क्षेत्र दर भूमि / -रूपये प्रति वर्ग मीटर, जो शत्रु, नजूल, चर्च, वक्फ व सीलिंग की सम्पत्ति नहीं है, पक्षकार भारतीय नागरिक है ।
बैनामा / -रूपये बाजारी मूल्य / -रूपये स्टाम्प / -रूपये का ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट सं०
दिनांक 06.04.2021ई० का संलग्न है ।

मैं कि आधार इन्फ्राक्राफ्ट (इण्डिया) प्रा० लि० (CIN No. U70109UP2017PTC092057), जिसका रजिस्टर्ड आफिस खसरा नं० 497, वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी, बरेली है तथा विक्रेता कम्पनीज एक्ट के द्वारा पंजीकृत है द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी अमित सेठी पुत्र श्री राम चन्द्र सेठी निवासी 676 जनकपुरी बरेली का हूँ तथा कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर की मीटिंग दिनांक 25.02.2021ई. में पारित प्रस्ताव के अनुसार मुझ मुकिएर को दस्तावेजात को तकमिला कर सम्पत्ति विक्रय करने आदि के पूर्ण अधिकार प्राप्त है का हूँ विक्रेता ।
पैन नं० AAPCA4587N मो० नं० 9897293444

जो कि खसरा नम्बर 497 वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० व जिला बरेली कम्पनी ने द्वारा बयनामा दिनांक 28.09.2017ई० जिसकी रजि० दिनांक 28.09.2017ई० को वही नं० 1 जिल्द 8999 के पृष्ठ 61 से 106 में नम्बर 8399 पर कार्यालय सं० २० साहव बरेली में हुई है इकरारी शशी कान्त व सूर्य कान्त पुत्रगण नरायन सिंह से खरीद की, वाद खरीदारी के कम्पनी मजकूर ने उसका तलपट मानचित्र सं० PRD/PH/00217/BDA/LD/20-21/0300/19022021 दिनांक 18.03.2021ई० बरेली विकास प्राधिकरण बरेली से स्वीकृत कराया तथा उस पर 33 एवन्यू नाम से प्लाट्स कायम किये जिसमें से प्रा० प्लॉट नं० जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर खेत नं० 497 में से वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० व जिला बरेली जिसको कम्पनी मजकूर विक्रय करना चाहती है तथा खरीदार बयनामा उसे क्रय करना चाहते हैं तथा खरीदार बयनामा हाजा ने जो कीमत लगाई है वह कम्पनी मजकूर को स्वीकार है लिहाजा मैंने वहैसियत अधिकृत हस्ताक्षरी उक्त कम्पनी मजकूर के खूब सोचकर व समझकर स्वेच्छा से स्वस्थ व चैतन्य मन से वही आवासीय प्रा० प्लॉट नं० जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर खेत नं० 497 में से वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० व जिला बरेली महदूदा जैल ममलूका व मकबूजा कम्पनी मजकूर जिस पर कम्पनी मजकूर उपरोक्त विवरण के अनुसार मालिक है, जो किसी जगह रहन, वय व वक्फ व कुर्की व कर्जजात सरकारी व गैर सरकारी आदि में नहीं है, गर्ज कि सब तरह से पाक व साफ है, और ऐसा ही इत्मिनान खरीदार को दिलाकर साथ सब हदूद व हकूक मिराफिक दाखली व खारजी के विल ऐवज मुवलिंग / -रूपये के बदस्त
... क्रेता फरीक दोयम के है, (मो० नं० पैन नं०) क्रेता के हाथ व जरूरत इखराजात व मिलने कीमत मुनासिव के कतई बेच डाला और वय कतई कर दिया जरे समन तमाम व कमाल हस्ब तफसील जैल क्रेता से वसूल पाकर प्लॉट मजकूर पर क्रेता को मालिकाना काबिज व दखील मुत्सरिफ कर दिया कि अब कम्पनी मजकूर व वारिसान व कायम मुकामान कम्पनी मजकूर का प्लॉट मजकूर पर कोई हक व मिल्क व अंश व हिस्सा किसी किसिम का बाकी नहीं रहा और न आइन्दा को होगा वय कामिल तौर पर नाफिज हो गई तकाबिजुल बदलैन अमल में आ गया यह शर्त साफ तौर पर करार पाई कि सानी उलहाल अगर कोई सहीम, शरीक, हिस्सेदार, किफालतदार, उज्जदार, हकदार, दावेदार या अन्य कोई शख्स पैदा होकर दावा प्लॉट मजकूर की बावत करे जुज या कुल कब्जा क्रेता से निकल जावे तो क्रेता को अख्त्यार वापसी जरे समन जुज का जुज व कुल का कुल मय हर्जा व खर्चा व नुकसान सर्फ इमारत का कम्पनी मजकूर की जात व दीगर जायदाद हर किसिम कम्पनी मजकूर से हासिल होगा, प्रश्नगत सम्पत्ति का पूर्व में कोई बयनामा नहीं किया गया है और न ही उक्त सम्पत्ति का अन्य किसी के पक्ष में वसीयतनामा, इकरारनामा मुहायदावय व मुख्तारनामा व दानपत्र किया गया है सम्पत्ति का स्वामित्व, कब्जा व चौहददी में कोई विवाद नहीं है और व्यवसायिक गतिविधियों में संलग्न नहीं है भविष्य में इस सम्पत्ति पर लागू समस्त कर (नगर निगम, सर्विस टैक्स, जी०एस०टी०, बिजली बिल इत्यादि) देने का पाबन्द क्रेता रहेगा, क्रेता स्वीकृति मानचित्र जो कि बरेली विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है, के अनुसार निर्माण करने का पाबन्द रहेगा, तथा किसी प्रकार का अनाधिकृत अतिक्रमण जनरेटर आदि घर के बाहर नहीं रखेगा, भविष्य में कम्पनी द्वारा गठित सोसायटी द्वारा निर्धारित रख-रखाव की जो भी धनराशि होगी उसे क्रेता समय पर देने का पाबन्द रहेगा, अतः यह विक्रय पत्र लिपिबद्ध कर दिया कि प्रमाण रहे ।
हदूदअर्वा प्लॉट मजकूर - प्रा० प्लॉट नं० जिसमें क्षेत्रफल वर्ग मीटर खेत नं० 497 में से वाकै ग्राम चन्दपुर बिचपुरी पर० तह० व जिला बरेली

पूरब :-
पश्चिम :-
उत्तर :-
दक्षिण :-

पैमाईश:- संलग्न नक्शा वयनामा अनुसार है ।

घोषणा

हम पक्षकार घोषित करते हैं कि विक्रीत सम्पत्ति मूल्यांकन सूची के क्षेत्राधिकार में अर्द्ध नगरीय क्षेत्र के दिये गये सीमांकन के अन्तर्गत स्थित है, जिसका निकटतम डोहरा-लालपुर मार्ग से लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है मूल्यांकन सूची के पृष्ठ संख्या 26 क्रमांक 96 कॉलम 06 बी. कोड 1032 में निर्धारित दर के अनुसार गणना कर स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है । स्टाम्प अधिनियम की धारा 27 का पूर्ण पालन किया गया है ।